संख्या-120/2021/848/24-1-21-1833/2015 टी0सी0-4

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 7 दिसम्बर, 2021**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-712/अधि0नि0(वित्त)/वि0प्र0-1/14-15/आर0ई0सी0/02/400 टी0सी0, दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना /दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801-06-190-05-30- में प्राविधानित धनराशि रूपये 30,00,00,000/- (रूपये तीस करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 29,79,88,580/- (रूपये उनतीस करोड़ उन्यासी लाख अठ्ठासी हजार पॉच सौ अस्सी मात्र) को प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण सम्बंधित डिस्काम्स को संलग्नक में उल्लिखित कार्यदायी संस्थाओं के भुगतान हेतु किया जायेगा एवं उक्त धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी क्लेम के सापेक्ष दोहरा भुगतान न होने पाये।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक- "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-06-ग्रामीण विद्युतीकरण- 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-05- राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति-30- निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-2135-दस-2021 2022, दिनांक 29 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-120/2021/848(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7-लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
4- महालेखाकार, (लेखापरीक्षा ।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त(वयय-नियंत्रण)अनुभाग-10/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in